

भाग- II

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या:-

7	परियोजना स्कीम का स्थान	:-	कुनारा पासा नहर निर्माण कार्य, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी।
	(i) राज्य संघ शासित क्षेत्र	:-	उत्तराखण्ड
	(ii) जिला	:-	उत्तरकाशी
	(iii) वन प्रभाग	:-	टौंस वन प्रभाग, पुरोला
	(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है० में)	:-	0.2040 है०
	(v) वन की कानूनी स्थिति	:-	आरक्षित वन भूमि
	(vi) हरियाली का घनत्व	:-	0.4 से अधिक है।
	(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	:-	परियोजना के निर्माण से कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होगा।
	(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	:-	संवेदनशील क्षेत्र नहीं है
	(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल से वन की सीमा की अनुमानित दूरी	:-	योजना वन भूमि के अन्दर क्रियान्वित होगी।
	(x) क्या प्रस्तावित क्षेत्र फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाय)	:-	नहीं
	(xi) क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	:-	नहीं

परियोजना का नाम:- कुनारा - पासा नहर निर्माण कार्य

	(xii) क्या सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:-	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं हो जाँचे गये विकल्पों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:-	प्रस्तावित भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9	क्या वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:-	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	:-	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, आस-पास के वन से इनकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	:-	संलग्न है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की सीमाओं को दर्शाता मैप	:-	संलग्न है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	:-	संलग्न है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।		संलग्न है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण		संलग्न है।

परियोजना का नाम:- कुनारा - पासा नहर निर्माण कार्य

	से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।)		
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलाम (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	:-	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	:-	
	(i) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल	:-	84479.245 है० (टौंस वन प्रभाग, पुरोला)
	(ii) जिला का वन क्षेत्रफल	:-	62208.97 है० (टौंस वन प्रभाग, पुरोला)
	(iii) मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	:-	61 मामले/147.818 है०
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:-	150.629 है०
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	:-	13.80 है०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	:-	—
	(क) वन भूमि पर।	:-	138.23 है०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर।	:-	—
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	:-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 5/6/13

स्थान:- पुरोला

हस्ताक्षर

प्रभागीय वन अधिकारी, कुनारा

टौंस वन प्रभाग

पुरोला (प्रकाराग्री)